

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर

1	निर्माता व्यापारी द्वारा बताया गया कि वह GST में पंजीकृत व्यापारी है उनके द्वारा यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट्स एजेन्सी के माध्यम से कोई माल मंगाकर उस पर रिवर्स चार्ज बेसिस पर कर जमा किया जाता है तो क्या उस जमा कर का उन्हें आईटीसी के रूप में लाभ मिलेगा?	हाँ, आपको नियमानुसार उक्त मामलें में आईटीसी का लाभ मिलेगा।
2	मैं एक निर्माता व्यापारी हूँ, मैं निर्मित माल कोलकाता की फर्म को बेचता हूँ। माल से सम्बन्धित भाड़े का भुगतान कोलकाता के व्यापारी द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह तो स्पष्ट है कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर भाड़े के सम्बन्ध में सेवा कर कोलकाता के व्यापारी द्वारा चुकाया जाना है। परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि यदि ट्रांसपोर्टर/वाहन चालक रास्ते में खर्च के लिए रु0 3,000/-मुझसे माँगता है तो ऐसी दशा में इस धनराशि के सम्बन्ध में जीएसटी के अन्तर्गत करदेयता की स्थिति क्या होगी ?	चूँकि ट्रक से सम्बन्धित भाड़ा कोलकाता के क्रेता द्वारा चुकाया जाना है तथा पूर्व में स्पष्ट ही है कि उक्त के सम्बन्ध में सेवा कर रिवर्स चार्ज बेसिस पर कोलकाता के व्यापारी द्वारा ही जमा किया जाना है। जहाँ तक वाहन चालक को रास्ते में खर्च से सम्बन्धित रु0-3,000/-देने का प्रश्न है चूँकि यह माल से सम्बन्धित भुगतान नहीं है, अतः इस पर जीएसटी के अन्तर्गत कोई करदेयता आकर्षित नहीं होती है।
3	एक निर्माता व्यापारी द्वारा पूछा गया कि उनके द्वारा खरीदे जाने वाले रॉ मैटीरियल पर 18 प्रतिशत की करदेयता है, जबकि उनके द्वारा फिनिश गुड्स 05 प्रतिशत की दर से करदेय है। इस प्रकार उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की प्रकृति के फलस्वरूप उनके द्वारा प्राप्त की गयी आईटीसी के सापेक्ष उनका करदायित्व क्या होगा तथा ऐसी दशा में बचे हुए आईटीसी का रिफण्ड उन्हें मिलेगा?	हाँ, आपको बचे हुए आईटीसी का नियमानुसार रिफण्ड मिलेगा।
4	एक निर्माता व्यापारी द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है कि उनके द्वारा प्रान्त बाहर से दिनांक 25.6.2017 को जारी बिल पर माल खरीदा गया है तथा वह माल उनको जीएसटी लागू होने के पश्चात् दिनांक 10.07.2017 को प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त खरीद माह जुलाई में किस तरह से दिखाई जायेगी ? तथा उस पर आईटीसी का लाभ मिलेगा अथवा नहीं ? क्या उक्त खरीद के विरुद्ध विभाग से फॉर्म-सी मिलेगा अथवा नहीं ?	जीएसटी अधिनियम के Transitional Provisionsके अन्तर्गत दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत यदि कोई माल जीएसटी लागू होने के पूर्व में खरीदा गया है तथा वह माल जीएसटी लागू होने के पश्चात् प्राप्त हुआ है, तो ऐसी दशा में उस माल को उस माह की खरीद में दिखाया जायेगा जब वह प्राप्त होता है। इस प्रकार 10.07.2017 को प्राप्त हुए माल को जुलाई के माह से सम्बन्धित खरीद में दिखाया जाना है। तथा ऐसे माल की खरीद पर चूँकि यह प्रान्त बाहर से की गई खरीद है अतः इस पर एसजीएसटी के तहत वैट अधिनियम से सम्बन्धित आईटीसी का लाभ तो नहीं मिलेगा परन्तु उस पर सीजीएसटी के तहत इनपुट का लाभ मिल जायेगा, यदि पूर्व में एक्साइज अधिनियम के तहत ड्यूटी उस पर

		<p>चुकाया गया है। इस प्रकार उक्त आयातित माल पर सी0जी0एस0टी0 के तहत एक्साइज ड्यूटीसे सम्बन्धित आई0टी0सी0 का लाभ सी0जी0एस0टी0 के तहत प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि करदाता को उक्त प्रकार के क्रय के सम्बन्ध में सूचना निर्धारित प्रारूप में Online देनी होगी। जहाँ तक उक्त खरीद के सम्बन्ध में फॉर्म-सी प्राप्त होने का प्रश्न है चूँकि यह जी0एस0टी0 लागू होने के पूर्व का संग्रहवार था। अतः इसमें फॉर्म-सी जारी हो सकता है।</p>
5	<p>एक निर्माता फर्म द्वारा पूछा गया कि उनको प्रान्त के अन्दर स्थित अपने ब्रांच में माल भेजते समय टैक्स इनवाइस जारी करना पड़ेगा या चालान?</p>	<p>उनको नियमानुसार चालान व नियमानुसार चालान से माल का परिवहन कर सकते हैं। चालान में GST Rules की धारा-10(1) के अनुसार निर्मित विवरण का समावेश होना आवश्यक है।</p>
6	<p>एक व्यापारी द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि उनके द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व अन्तिम तिमाही के सम्बन्ध में जो आई0टी0सी0 वैट में रिटर्न के सम्बन्ध में Carry Forward है। क्या वह पूरा जी0एस0टी0 में उनके Credit ladgerमें चला जाएगा तथा उनके द्वारा प्रान्तीय बिक्री के साथ ही साथ केन्द्रीय बिक्री व स्टॉक ट्रांसफर भी किया गया है।</p>	<p>आपको अपने अन्तिम तिमाही की वैट रिटर्न में कैरीफॉरवर्ड आई0टी0सी0 का लाभ मिलेगा। चूँकि आप द्वारा केन्द्रीय बिक्री व स्टॉक ट्रांसफर भी किया जाना स्वीकार किया है। अतः आपको पूर्ववर्ती केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के नियम-12 के अन्तर्गत उक्त प्रपत्र-सी व एफ निर्धारित समय पर जमा करने होंगे तभी पूरी आई0टी0सी0 का लाभ मिलेगा। उक्त प्रपत्र-सी व एफ जमा करने का विवरण निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन 03 माह के भीतर जी0एस0टी0 पोर्टल पर अपलोड किए जाने हैं।</p>
7	<p>एक करदाता द्वारा यह प्रश्न किया गया है कि वह चावल का निर्माता है व चावल जी0एस0टी0 के तहत करमुक्त वस्तु है। उनके द्वारा बताया गया कि यदि वह अपने व्यापार के सम्बन्ध में पैकिंग मैटीरियल, कैपिटल गुड्स की खरीद करते हैं तो क्या करमुक्त वस्तु की सप्लाई करने के बावजूद उन्हें पैकिंग मैटीरियल व कैपिटल गुड्स को गुड्स ट्रांसपोर्ट के माध्यम से खरीद करने पर रिवर्स चार्ज बेसिस पर करदेयता होगी?</p>	<p>यद्यपि आप करमुक्त वस्तुओं की सप्लाई करते हैं, तथापि पैकिंग मैटीरियल पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेन्सी के माध्यम से मंगाये गये पैकिंग मैटीरियल व कैपिटल गुड्स पर रिवर्स चार्ज बेसिस पर सेवा कर के रूप में करदेयता होगी, क्योंकि पैकिंग मैटीरियल व कैपिटल गुड्स के सम्बन्ध में GST के माध्यम से माल मंगाने पर करदेयता है तथा उक्त वस्तुएं सेवा कर के अन्तर्गत करमुक्त नहीं है।</p>
8	<p>अनेक व्यापारियों द्वारा यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सभी व्यापारियों को अपने टैक्स इनवाइस में बिक्री की वस्तु के नाम के साथ-साथ HSN कोड अंकित करना अनिवार्य है?</p>	<p>इस सम्बन्ध में बताया गया कि छोटे व्यापारियों जिनका सलाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उन्हें अपने टैक्स इनवाइस में HSN कोड अंकित किया जाना अनिवार्य नहीं है। 1.5 करोड़ से 05 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर केवल 02 डिजिट का HSN कोड अंकित किया जाना है तथा 05 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 04 डिजिट में HSN कोड अंकित किया जाना है।</p>
9	<p>मैं एक पंजीकृत व्यापारी हूँ, तथा मेरे द्वारा प्रान्त अन्दर के व्यापारी से सामान खरीदा जाता है, जो कम्पोजीशन स्कीम के तहत कर का</p>	<p>नहीं, क्योंकि कम्पोजीशन स्कीम अपनाने वाला डीलर अपने ग्राहकों को की गई सप्लाई पर कोई कर नहीं ले सकता है, इसलिए आप</p>

	भुगतान करता है, तो क्या मैं कम्पोजीशन डीलर से की गई खरीद पर दिए गए कर का क्रेडिट प्राप्त कर सकता हूँ ?	कम्पोजीशन स्कीम के तहत कर देने वाले व्यापारी से की गई खरीद पर क्रेडिट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यापारी खरीद के बिल में अलग से चार्ज किए गए कर के सम्बन्ध में ही आई0टी0सी0 का लाभ ले सकता है, चूँकि समाधान योजना अपनाने वाला व्यापारी अपने सप्लाय से सम्बन्धित बिल में अलग से कर चार्ज नहीं करता। अतः क्रेता व्यापारी को उक्त खरीद पर आई0टी0सी0 का लाभ नहीं मिलता।
10	एक अन्य करदाता द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि वैट अधिनियम में वह केवल प्रान्तीय खरीद बिक्री के लिए पंजीकृत था यानि कि उनके पास केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र नहीं था। व्यापारी का प्रश्न है कि क्या उनको जी0एस0टी0 में माइग्रेट होने के पश्चात् केन्द्रीय बिक्री कर के सम्बन्ध में अलग से पंजीयन की आवश्यकता है ?	नहीं, यदि आप वैट अधिनियम के तहत केवल प्रान्तीय खरीद बिक्री के लिए ही पंजीकृत थे तो भी जी0एस0टी0 में माइग्रेट होने के पश्चात् आप प्रान्तीय व केन्द्रीय सब प्रकार के सम्व्यवहार करने के लिए अधिकृत हैं। चूँकि जी0एस0टी0 में अलग से केन्द्रीय बिक्री पंजीयन लेने की व्यवस्था नहीं है, अतः केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में पंजीकृत होने की कोई व्यवस्था नहीं है।
11	एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा प्रश्न किया गया कि उनके द्वारा सप्लाय की जाने वाली मुख्य वस्तु GST के अन्तर्गत करमुक्त है, परन्तु उनके द्वारा थोड़ी मात्रा में करयोग्य वस्तु की सप्लाय लगभग 10 लाख की है, जबकि करमुक्त वस्तु की सप्लाय लगभग 80 लाख रही है तो क्या मुझे समाधान योजना का लाभ मिलेगा?	नहीं, समाधान योजना में कुल टर्नओवर में एग्रीगेट टर्नओवर शामिल है, जिसमें करमुक्त वस्तु की सप्लाय भी शामिल है, चूँकि आपके मामले में करमुक्त व करयोग्य दोनों वस्तुओं की सप्लाय 75 लाख से अधिक है। अतः आपको समाधान योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
12	एक रेडिमेड व्यापारी द्वारा पूछा गया कि कपड़े पर GST में एक हजार से ऊपर के रेडिमेड गारमेन्ट पर 12 प्रतिशत कर की दर है, जबकि उससे नीचे के रेडिमेड गारमेन्ट पर 05 प्रतिशत कर की दर है। क्या उक्त कीमत MRP कीमत है या बिक्री कीमत?	एक हजार या उससे कम कीमत का आशय उसके मूल्य से है न की उसके MRP मूल्य से।
13	एक पंजीकृत करदाता द्वारा एक प्रश्न किया गया कि अगर समाधान योजना अपनाने के पश्चात् वर्ष के दौरान उनका टर्नओवर 75 लाख से अधिक हो जाता है तो क्या उन्हें उस वित्तीय वर्ष में पूरे वर्ष के लिए समाधान योजना का लाभ मिलेगा ?	बताया गया कि जब भी आप सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में 75 लाख के टर्नओवर को पूरा करेंगे, उस दिन से ही आप एक सामान्य व्यापारी की तरह कर का भुगतान करेंगे तथा यह ध्यान रहे कि आपको 75 लाख की सीमा पार करने सम्बन्धी सूचना विभाग को FORM GST CMP-04 में ऑनलाईन रूप से 07 दिन के अन्दर देनी होगी।
14	एक करदाता द्वारा यह प्रश्न किया गया है कि क्या बिल-बुक का कोई निर्धारित प्रारूप है ?	नहीं, बिक्री बीजक का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, परन्तु वह इस प्रकार होना चाहिए, जिसमें क्रेता व्यापारी का नाम, विक्रेता व्यापारी का नाम, उनका GST नं0, सीरियल नं0, दिनांक, वस्तु का नाम,

		वस्तु की मात्रा, कर की दर, एच0एस0एन0 कोड आदि 16 सूचनाओं का समावेश होना आवश्यक है, उक्त 16 सूचनाएं रूल में दी गयी हैं। करमुक्त वस्तुओं की सप्लाई करने वाले बीजक में तथा समाधान अपनाने वाले व्यापारी की दशा में बीजक की जगह बिल ऑफ सप्लाई जारी करना होगा तथा उसमें क्रेता व विक्रेता फर्म का नाम, सप्लायर का नाम, GST नं0, सीरियल नं0, दिनांक, वस्तु का नाम, कीमत, एच0एस0एन0 कोड, हस्ताक्षर आदि 08 (आठ) विवरण का होना आवश्यक है।
15	एक व्यापारी द्वारा प्रश्न किया गया कि क्या माल की बिक्री करने पर, बिक्री डिस्काउण्ट पर की जा सकती है?	GSTएक्ट की धारा-15(3) के अनुसार जो डिस्काउण्ट सप्लाई से पूर्व या सप्लाई के समय दिया जाता है तथा जिसको सम्यक रूप से अभिलिखित किया जाता है। ऐसा डिस्काउण्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं होगा तथा माल की आपूर्ति के पश्चात वहीं डिस्काउण्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में सम्मिलित नहीं होगा, जो सप्लाई के समय या उससे पूर्व किया गया तथा किसी प्रकार के करार के अनुसार की गयी हो तथा Relevant बीजकों से विनिर्दिष्ट रूप से जुड़ी हो। इस प्रकार उपरोक्त शर्तों के अनुसार प्रदत्त डिस्काउण्ट अनुमन्य होंगे।
16	एक दवाई व्यापारी द्वारा पूछा गया कि उनकी कार्य की प्रकृति के अनुसार उनके पास प्रतिवर्ष एक्सपाइरी दवाईयाँ बच जाती हैं, जिन्हें विक्रेता व्यापारी को वापिस कर नष्ट कर दिया जाता है तो क्या ऐसे माल पर कोई करदायित्व होगा?	नहीं, ऐसे माल पर कोई करदायित्व नहीं होगा, परन्तु उक्त माल की आप द्वारा सप्लाई नहीं की गयी है अतः नियमानुसार आप द्वारा विक्रेता माल की आई0टी0सी0 में से उक्त माल से सम्बन्धित आई0टी0सी0 रिवर्स होगी।
17	एक व्यापारी द्वारा बताया गया है कि उनका टर्नओवर रु0 10 लाख वार्षिक से कम है, परन्तु उनके द्वारा जी0एस0टी0 में पंजीकृत होने के लिए आवेदन नहीं किया गया है। क्या अपंजीकृत होने की दशा में उनके द्वारा प्रान्त बाहर से माल खरीदा जा सकता है ?	अपंजीकृत व्यापारी के जी0एस0टी0 के तहत प्रान्त बाहर से माल खरीदने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। प्रतिबन्ध केवल प्रान्त बाहर को माल सप्लाई करने के सम्बन्ध में है, अर्थात् प्रान्त बाहर माल सप्लाई करने पर अनिवार्य रूप से पंजीयन की आवश्यकता होगी।
18	मैं पूर्व में वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत था तथा अन्तिम वैट विवरणी जमा करते समय कुछ इनपुट अग्रसारित हैं, क्या उस इनपुट अग्रसारित का लाभ जी0एस0टी0में मिलेगा? जबकि वर्तमान में जी0एस0टी0 के अन्तर्गत वह वस्तु करमुक्त है।	नहीं, यदि जी0एस0टी0 में वह वस्तु करमुक्त है तो पूर्व में अग्रसारित इनपुट का लाभ जी0एस0टी0 में नहीं मिलेगा।
19	ट्रांसपोटरों द्वारा पूछा गया कि यदि उनके द्वारा अपंजीकृत व्यक्ति के माल का परिवहन किया जाता है तो उस पर नियमानुसार कर का दायित्व ट्रांसपोटर के	ऐसी दशा में एक्ट के अनुसार आपको आई0टी0सी0 का लाभ नहीं मिलेगा।

	रूप में उनका बनता है तो क्या उनको किस प्रकार की आईटीसी का लाभ मिलेगा?	
20	एक व्यापारी द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि उनके द्वारा सप्लाई अपने फ़ैक्ट्री के वाहन से की जाती है, अर्थात सप्लाई FOR की जाती है। तो ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में क्या सर्विस टैक्स के रूप में कोई करदायित्व बनता है ?	सर्विस टैक्स की करमुक्त श्रेणी की सूची में स्पष्ट है कि निजी वाहन (जीटीए के अतिरिक्त) से माल का परिवहन करने पर सर्विस टैक्स का दायित्व नहीं बनता है।
21	एक करदाता द्वारा प्रश्न किया गया है कि, क्या जीएसटी में करमुक्त वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारी को गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेन्सी के माध्यम से करमुक्त वस्तुओं की खरीद करने पर रिवर्स चार्ज बेसिस पर सर्विस टैक्स का दायित्व बनेगा ?	रिवर्स चार्ज बेसिस पर समस्त करमुक्त व्यापारियों को जीटीए के माध्यम से गुड्स ट्रांसपोर्ट करने पर शून्य करदेयता नहीं है। बल्कि यह सेवा के सम्बन्ध में करमुक्त सेवाओं की सूची में क्रमांक-22 पर अंकित एग्रीकल्चर गुड्स, पूरे वाहन पर रु0-1,500/-से कम के भाड़े, सिंगल बिल्टी पर रु0-750/-से कम के भाड़े पर, दूध, नमक, फूड ग्रेन, जैविक खाद, न्यूज पेपर व मैगजीन (जो रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर में रजिस्टर्ड हों) रिलीफ मैटेरियल व मिलिट्री इक्यूपमेण्ट आदि से सम्बन्धित माल के परिवहन करने पर ही ट्रांसपोर्ट सम्बन्धी भाड़े पर सेवा कर करमुक्त है। इस प्रकार यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य करमुक्त वस्तु की खरीद की जाती है तो सेवा कर का दायित्व नियमानुसार होगा।

महोदय व्यापारी द्वारा इसके अतिरिक्त जो प्रश्न पूछे गये उनका भी निस्तारण किया गया। कुछ व्यापारियों द्वारा बताया गया कि GSTN नं0 अभी तक प्राप्त न होने के कारण दिक्कत हो रही है। उक्त समस्या गलत पैन नं0 पर प्राविजनल आई.डी. प्राप्त होने अथवा पैन नं0 मिसमैच होने के सम्बन्ध में थी। यह समस्या कुछ ही व्यापारियों के सम्बन्ध में है। इसके सम्बन्ध में उनको बताया गया कि पैन मिसमैच के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा सही पैन अपलोड कर सूचना प्रेषित कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में सही पैन नं0 से सम्बन्धित प्रोविजनल आई.डी. GSTN द्वारा भेजी जा रही है, चूँकि यह कार्य GSTN द्वारा ही किया जाना है, जिसके सम्बन्ध में मुख्यालय को भी सूचित कर दिया गया है। अतः उनके द्वारा सही प्रोविजनल आई.डी. प्राप्त होने पर व्यापारी द्वारा माइग्रेट किया जा सकता है।

भवदीय

(हरीश चन्द्र भट्ट)

संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर,

रुद्रपुर संभाग, रुद्रपुर।